REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3638]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2019⁄ कार्तिक 17, 1941
No. 3638]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2019/ KARTIKA 17, 1941

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2019

**का.आ. 4039(अ)**.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:—

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 74 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:— **तालिका** 

क्र.	नई	पुरानी	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
सं.	रारा सं.	रारा सं.	
(1)	(2)	(3)	(4)
74	22	83	बिहार राज्य में सोनबरसा (इंडो/नेपाल सीमा), सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना [पुरानी रारा सं. 83 के किमी 0.000 से किमी 7.20 (मीठापुर आरओबी से राम गोविंद सिंह महुली) तक को छोड़कर], पुनपुन, गया, बोध गया, डोभी, झारखंड राज्य में हंटरगंज, चतरा को जोड़ते हुए और चंदवा के निकट पर रारा-39 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/9/2018-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

5798 GI/2019

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में एस. आर. ओ. 1180 दिनांकित 4 अप्रैल, 1957 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. 3725(अ), दिनांकित 17 अक्तूबर, 2019 द्वारा किया गया था।

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

#### New Delhi, the 8thNovember, 2019

**S.O. 4039(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial numbers 74 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

Serial No.	New National Highway No.	Old National Highways No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)	(4)
74	22	83	The highway connecting Sonbarsa (Indo/Nepal Border), Sitamarhi, Muzaffarpur, Hajipur, <b>Patna</b> [excluding from km 0.00 to km 7.20 (Mithapur RoB to Ram Govind Singh Mahuli ) of old NH No. 83] Punpun, Gaya, Bodh Gaya, Dobhi in the State of Bihar, Hunterganj, Chatra and terminating at its junction with NH-39 near Chandwa in the State of Jharkhand.

## TABLE

[F. No. NH-14012/9/2018-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Sey.

Footnote:—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended vide notification no. S.O. 3725(E) dated 17<sup>th</sup> October, 2019.